Paper-II Sociology (HONS) Part-I	
E. Study Material	By Dr. Ramesh Singh
For B.A.-Part-I	G.D. College, Bagaha
	Mob - 6394653523

मुसलमानों में तलाक (Divorce)

मुसलमानों में विवाह एक समझौता है। मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह समझौता या तो अदालती कार्यवाही द्वारा समाप्त किया जा सकता है या बिना अदालत के हस्तक्षेप के भी। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अंतर्गत या 'मुस्लिम कानून' के अंतर्गत तलाक प्राप्त किया जा सकता है। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना भी पति की इच्छा से तलाक हो सकता है या फिर पति और पत्नि के आपसी सहमती से हो सकता है जिसे "खुला" या "मुबारत" कहते है। "खुला" और "मुबारत" में अंतर यह है कि "खुला" तलाक में पहल पत्नि की होती है और "मुबारत" में पहल किसी की भी हो सकती है क्योंकि दोनों ही पक्ष तलाक के इच्छुक होते है। तलाक की प्रक्रिया को या तो मुंह जबानी कुछ उद्घोषणा करके या तलाकनामा लिखकर पूर्ण किया जा सकता है। तलाक की उद्घोषणा या तो निरसनीय या अनिरसनीय हो सकती है। अनिरसनीय घोषणा से विवाह विच्छेद तुरन्त होता है जबकि निरसनीय घोषणा से 'इद्दत' की अवधि समाप्त होने तक विवाह विच्छेद नहीं होता। इस अवधि में घोषणा का निरसन या तो अभिव्यक्त द्वारा या वैवाहिक संबंध आरंभ कर बिना अभिव्यक्त के किया जा सकता है। तलाक तीन तरह से लिया जा सकता है —

1. तलाक-ए-अहसन :— इसके अंतर्गत 'तलाक' की अभिघोषणा मासिक धर्म की अवधि 'तुहर' में एक ही बार की जाती है और इद्दत की अवधि तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। शियाओं में इस तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है। सुन्नियों में भी नशे के हालत में या गंभीर की अवस्था में की गयी 'तलाक' की घोषणा निरर्थक होती है।

2. तलाक-ए-हसन :- इसमें तीन घोषणाएँ सम्मिलित होती हैं जो लगातार तीन मासिक धर्म "तुहर" की अवधि में की जाती हैं और इस अवधि में किसी भी प्रकार का यौन संपर्क नहीं किया जाता है।

3. तलाक-ए-उल-बिद्दत :- इसके अंतर्गत एक ही "तुहर" की अवधि में एक ही वाक्य में तीन घोषणाएँ करने से (मैं तुम्हें तीन बार तलाक देता हूँ), या तीन बार तीन वाक्यों में दोहराकर (मैं तुम्हें तलाक देता हूँ-3) तलाक हो जाता है, या फिर एक ही तुहर में उक्त वाक्य को एक ही बार कहने पर, जिसमें विवाह समाप्त करने की अनिरसनीय इच्छा प्रगट की गयी हो तलाक हो जाता है।

इस प्रकार प्रथम दो प्रकार के तलाक के अंतर्गत दोनों ही पक्षों में समझौते के अवसर होते हैं, लेकिन तीसरे में नहीं। तलाक-ए-अहसन को अधिक मान्यता प्राप्त है।

इन तीन प्रकारों के तलाक के साथ-साथ 1937 के शरियत कानून के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के तलाकों का भी उल्लेख है :-

1. इला :- यदि पति यौन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद चार माह तक या निश्चित अवधि तक यौन सम्पर्क से अलग रहने की सौगन्ध लेता है, तो वह 'इला' करता है। यदि वह इस अवधि में यौन समागम नहीं करता है तो विवाह विच्छेद वैद्य मान लिया जाता है, जैसा कि तलाक-उल-बिद्दत के अंतर्गत होता है जिसमें पति एक ही बार तलाक की घोषणा करता है। "हनाफी" सम्प्रदाय के सुन्नियों में "इला" तलाक का मान्य रूप है, लेकिन 'सफाई' सम्प्रदाय के सुन्नियों में 'इला' तलाक लेने का केवल एक आधार होता है।

2. 'जिहर' :- परिपक्वता प्राप्त पति दो साथियों के समक्ष अपने पूरे होशो-हवास में यह घोषणा करता है कि उसकी पत्नी उसके माँ की पीठ (Back) (अथवा किसी अन्य की पीठ जिसके साथ उसका विवाह निषेधित है) के समान है तो तो वह "जिहर" तलाक होता है। परन्तु 'जिहर' विवाह विच्छेद नहीं होता, बल्कि यह पत्नि के लिए पति से तलाक लेने के लिए एक आधार तैयार होता है।

3 'लियान' :— इसके अंतर्गत पति अपनी पत्नि पर व्यभिचार (Adultery) का लांछन लगाता है। इस पत्नि को अदालत को अपील करने का आधार मिल जाता है कि या तो उसका पति आरोप वापस ले या फिर ईश्वर की सौगन्ध लेकर कहे कि उसके द्वारा लगाया गया लांछन सत्य है। यदि पति अपना आरोप वापस नहीं लेता बल्कि ईश्वर की सौगन्ध लेता है तो पत्नि को भी एक विकल्प मिलता है कि या तो वह अपने उपर लगाया गया लांछन स्वीकार कर ले या फिर पति की तरह ईश्वर की सौगन्ध ले कि वह निर्दोष है। इस प्रकार शपथ लेने को 'लियान' कहते हैं।

1939 के मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय से न्यायिक व्यवस्था द्वारा भी तलाक लिया जा सकता है। इस अधिनियम के आधार पर महिला को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निम्नलिखित अवस्थाओं में पति को तलाक दे सकती है: जब पति दो वर्ष तक पत्नि का भरण-पोषण न कर सके; यदि पति को सात या सात वर्ष से अधिक की जेल हो जाये; यदि चार या अधिक वर्षों से पति ने पत्नि का परित्याग किया हो; पति तीन साल तक यौन सम्पर्क न करे; यदि पति नपुंसक हो; यदि दो साल तक पति पागल हो; यदि पति किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो; यदि पति क्रूर हो; या पत्नि के अठारह वर्ष पूर्ण होने से पहले यौन परिपक्वता धारण करने का विकल्प रखता हो।

मुस्लिम कानून के क्रियान्वयन के अंतर्गत जीवन-साथी के धर्म परिवर्तन के कारण भी विवाह विच्छेद लिया जा सकता है। पति के धर्म परिवर्तन के कारण विवाह विच्छेद तुरन्त हो सकता है। अतः यदि एक पुरुष इस्लाम धर्म में परिवर्तन कर लेता है और उसकी पत्नि 'इद्दत' की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है तो वह द्वि-विवाह (Bigamy) की दोषी नहीं होगी। क्योंकि धर्म-परिवर्तन तुरन्त विवाह-विच्छेद का कार्य करता है। 1939 के अधिनियम के पूर्व पत्नि के धर्म परिवर्तन करने पर भी विवाह विच्छेद तुरन्त लागू होता था पर अब नहीं। लेकिन यह तथ्य उन स्त्रियों पर लागू नहीं होता जो अन्य किसी धर्म से परिवर्तित होकर इस्लाम में आई हो।